

भूक काद पत्र पर बहल भूनी का मिमक
आमर्शा ठिनिता आदिम हे दिनांक-
6/9/82 को जडा है

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुझुनू (राज.)

06 09
22

पतापत्री पत्रा हूँ पतापत्री मे भाज आदिदि दिना
जाता हूँ वादीया का कथन है की भूमि खण्ड
961 खण्ड प.म हूँ भूमि के वादीया के 1/6 हिस्से
की भूमि के पूर्व दिशा मे भूमि खण्ड 963 खण्ड 2 878
अवस्थित है उक्त कृषि भूमि खण्ड 963 खण्ड
2-878 हूँ भूमि प्रतिवादी गण 10 + 5 2 की खोदवादी
की कृषि भूमि है तथा उक्त पठित भूमि वादीया
की भूमि खण्ड 961 खण्ड प.म हूँ भूमि के विच्छेद
शरती हूँ भूमि है तथा वादीया अपनी भूमि खण्ड
खण्ड 961 खण्ड प.म हूँ मे खण्ड ख. के
का विज कायदा है तथा वादीया की उक्त कृषि भूमि
खण्ड 961 जिले गण खण्ड 981 व 982 के
तथा ग्राम मण्डल मे सन् 1979-1980 मे जमा
भू-पुनर्स्थापना का काम शुरू हुआ था जिस भू-पुनर्स्थापना
का काम के दौरान वादीया की भूमि के लगे
961 खण्ड प.म हूँ का जमा नकशा दिनांक
सन् भू-पुनर्स्थापना सन् 1986-87 (सन् 1993) मे पर

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला झुझुनू (राज.)

नकसे किल्लावार के अनुसार सही नहीं। बगामा गमा
 व पू-पुबन्ध विभाग के कार्यालयों के वादीमा की
 नकद कल्लत जवाबदारी की भूमि जमरा कर 961 किगल्ले
 किल्लावार सन् 1979-80 में बने नकसे के वादीमा
 की भूमि के नकसे की पूर्ण रिजल की लार्डन / लार्डन
 के बिलकुल लीघार्ड में डवल डि दक्षिण लार्डन रिजल
 बगामा जो कि गलत आवेध व अनाधिकृतता
 के बिना किसी आधार के बिना वादीमा के
 नकसे गलत तरीके से बना दिया जिसके कारण 80
 गलत तरीके से बने सन् 1979-80 के नकसे के
 अनुसार वादीमा की उक्त भूमि का अन्धधारा परीक्षा
 नकशा के अनुसार लग दशाब्दी गमा ही जबकि
 वास्तव में नकसे पर वादीमा के नकसे में नकशा
 किल्लावार सन् 1936-37 (सकल-1993) के
 अनुसार भूमि पर वादीमा अपने 1/6 हिस्से पर
 कार्य कर रहा है तथा वादीमा की उक्त भूमि
 अन्धधारा 961 अन्धधारा 4.3 हेक् भूमि का पुराना
 नकशा सन् 1936-37 एवं 1993 का बना नकशा
 के अवलोकन पर यह पाया जाता है कि उक्त
 नकशा में वादीमा की भूमि अन्धधारा 961 का पूर्ण
 दक्षिणी कोना चौरस न स्यात् दक्षिणी पूर्वी दिशा
 में अंशों में काटा हुआ है जबकि उक्त नकसे के
 पू-पुबन्ध के दौरान बने नकसे में सन् 1979-80
 में चौरस कर गलत तरीके से वादीमा की
 भूमि का गलत व आवेध तरीके से जो नकशा
 बगामा गमा है जो बिना किसी (तकलीफ) आधार

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए ।

के आदेश के व सिप्ले के बिना वादीना के सुनवाई का बिपन्न दिने बिना वर्तमान नजदर किल्लावट सन १९७९-८० गलत तारीखे दिखल दिना गलत हो जिसके अनुसार वादीना की भूमि का खर्चा कम होता है।

डिपेंड प्रकेशन के अंतर्गत रिपोर्ट मौज्जा नजदर सिप्ले का तदखीलायत सिप्ले के मजदूरी की मौज्जा नजदर रिपोर्ट के अनुसार १६१ अफवा प.स. ६० के गत खत खत १९१ मी. व १९२ मी के क्षेत्र है गत खत खत १९२ का अफवा प.स. ६० जमावदी (सप २००३) डिपुपल १९ वीला उकीसा हो वर्तमान में ६० के परिवर्तन करने पर प.स. ६० वरत हो जयकी गत खत खत १६१ का अफवा प.स. ६० है। जिसके जाहित है कि ०.३५ है भूमि गत खत खत १९१ की है जो है ०.३५ है भूमि का मोफे परखाली पदी हो माने पर विवादित भूमि की तुलना करने पर गत खत खत १६१ की पूर्वी दक्षिण कोने पर सीमा रेखा बिन्दु A के D का बिन्दु खत खत १६३ के ऊपर पश्चिम दिशा में बिन्दु C के D बिन्दु पर है। है नजदर सिप्ले सि. B. C. D गत खत खत १९२ का

सप खण्ड अधिकारी चिडावा जिला सुपुन (राज.)